(a) whether four Government quarters in Connaught Lane, New Delhi, have been alloted to a cooperative Society ;

(b) whether the said society is in wrongful occupation of those quarters ;

(c) whether the society has not paid rent for the same for several years ;

(d) whether the society has sublet various portions of the said building ; and

(e) whether Government are taking action to realise the rent or to evict the occupants ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH) : (a) Bunglaws No. 2-D 4-D, 6-D & 8-D, Connaught Lane were alloted to Hindustan Samachar Cooperative Ltd., New Delhi on 6-4-78 on temporary basis (on leave and licence basis) on payment of market rent.

(b) Since the bunglows were not vacated and also since the Society was defaulting payment of rent the licence revoked w.e.f. 25-4-83. The Bunglows are however, still in unauthorised occupation of the said society.

(c) A sum of Rs. 1,64,575 (Rupees one lakh sixty four thousand five hundred seventy five only) is due from the Hindustan Samachar Coop. Ltd. on account of rent/ damages upto 31-7-87.

(d) The Government is not aware of any such subletting.

(e) Legal Action is being taken under the public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1981 for realising the Govt. dues. Action under the said Act is also being initiated for securing vacation of the Bunglows from the unauthorised occupants.

Air Station at Kota

1631. SHRI BHUVNESH CHATURVEDI : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state by when an AIR station at Kota is likely to be started ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL) : The Station is expected to be ready for commission towards the end of September, 1986.

सिंचाई मंत्रियों की बैठक

1632. **श्री प्रमोद महाजन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई मंत्रियों की हाल ही की बैठक में पानी की दरें बढ़ाने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो नयी दरों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस निर्णय से किसानों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों से उन्हें बचाने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (घ) सिंचाई तथा जल संसाधन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि जल प्रभार इस प्रकार नियत किए जाने चाहिएं कि उनसे प्रचालन तथा रख-रखाव की लागत निकल आए और यह भी कि बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए जल प्रभारों में क्रमिक वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है । केन्द्र सरकार समय समय पर राज्य सरकार से यह आग्रह करती रही है कि मौजूदा जल प्रभारों की पुनरीक्षा की जाए ताकि प्रचालन एवं रख-

रखाव लागत निकल आए तथा पूंजीगत लागत का कुछ हिस्सा वसूल हो जाए आशा की जाती कि राज्य सरकारें मामले पर आगे कार्यवाही करेंगी ।

Corruption in Recruitment in HFC unit at Barauni

1633. SHRI SUKOMAL SEN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several MPs and some trade unions have complained against corruption in the matter of recruitment in the Hindustan Fertilizer Corporation (H.F.C.) unit at Barauni ;

(b) if so, what are the details thereof ;

(c) whether any enquiry has been instituted into the matter ;

(d) if so, the names and designations of Officers who are conducting the enquiry ; and

(e) whether the enquiry report has been submitted and if so, what are the contents of the report ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) to (e) Yes, Sir. A number of complaints have been received about the alleged irregularities in the recruitment of Mazdoors in the Barauni Unit of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC). The HFC managment asked S/Shri S.M. Bhatnagar, Senior Vigilance Officer and R.Bhatia, Senior Personnel Officer of the Corporate Office to conduct an enquiry into the matter. The preliminary enquiry reports does not substantiate any irregularity.

बैलों की कमी

1634. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जनवरी-मार्च, 1986 की पत्रिका "ग्राम-शिल्प" में "बैलों की जरुरत है" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि देश में कुल कृषि योग्य भूमि 4 हजार करोड़ एकड़ है, जिसकी जुताई के लिए 4 करोड़ हलों अर्थात् आठ करोड़ बैलों, बैलगाड़ी खींचने के लिए 1.70 करोड़ बैलों तथा ग्रामीण उद्योग चलाने के लिए 2.80 करोड़ बैलों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि 12.50 करोड़ बैलों की आवश्यकता है, परन्तु केवल 7.33 करोड़ बैल ही उपलब्ध हैं तथा इस अंतर को कम करने की अपेक्षा काफी संख्या में बैलों को काटा जा रहा है ; और

(ग) खेती के लिए कितने बैल उपलब्ध हैं और कितने प्रतिवर्ष काट जाते हैं, और बैलों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) यदि यह मान लें कि 0.8 हार्स पावर प्रति हेक्टर (राष्ट्रीय कृषि आयोग, 1976 . की जरुरत होती है तो देश की कुल कृष्य भूमि (1982–83) के 1559 लाख हेक्टार में कृषि कार्यों के लिये 1247.2 लाख हार्स पावर की कुल जरुरत होने का अनुमान है । कृषि उपकरण और मशीनरी संबंधी कार्यदल की सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये तैयार की जाने वाली रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि कृषि कार्यों में पशु-शक्ति का हिस्सा केवल 33.62 प्रतिशत है । इसके फलस्वरूप, पशुओं का योगदान केवल 419.3 लाख हार्स पावर ही होने की सम्भावना है । एक बैल 0.5 हार्स